लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462023

दूरभाषः– 0755–2583650 ईमेल–trg.acrmsa2021@gmail.com

क्रमांक / अकादमिक(SAC) / अर्द्ध.परी. / 105 / 2022–23 / 35 भोपाल, दिनांकः– 3/1/23

प्रति,

(1) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

(2) जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

(3) समस्त प्राचार्य,
शास. हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल, मध्यप्रदेश

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2022–23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन संबंधी निर्देश।

–––000–––

शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वी से 12वी तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी अनुसार परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 02-01-2023 से 11-01-2023 तक किया जा रहा है | इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए -

1. समस्त प्राचार्य अपने विद्यालय में आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर विषय शिक्षकों से करवाकर दिनांक 20.01.2023 तक विमर्श पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि कर परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करें |
2. सामान्यत: देखने में आता है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम के बाद भी कक्षा 9 से कक्षा 12 में C, D एवं E ग्रेड में विद्यार्थी आते है | ऐसी स्थिति में सभी कक्षाओं में रेमेडियल कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा |
3. लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र. के पत्र क्रमांक / अकादमिक / सी.सी.एल.ई. / 2022 / 1263 भोपाल, दिनांक 01.07.2022 के पत्र के अनुसार जुलाई माह से जनवरी माह तक संपादित की जाने वाली प्रत्येक शनिवार की गतिविधियों (सी.सी.एल.ई.) में प्राप्त अंकों का 20% अंकों का अधिभार वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों में जोड़ा जाएगा |

रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन तथा इसके उद्देश्य के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें |

ग्रेड के आधार पर सेक्शन बनाना -

अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर सेक्शन पुन: बनाए जाए |

- ऐसी शालाएं जहाँ एक से अधिक सेक्शन है, वहाँ C, D एवं E ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाए जाए |
- ऐसी शालाएं जहाँ एक ही सेक्शन है, वहाँ C, D एवं E ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उसे किस तरह पढ़ाया जाना है | यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी C,D एवं E ग्रेड में है, तो उन्हें रेमेडियल टीचिंग मॉडयूल ही पढाया जाएगा | A एवं B ग्रेड के विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगें |

निरंतर–2

- अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में ग्रेड निम्नानुसार रहेंगे -

ग्रेड	A+	A	B	C	D	E1	E2
प्रतिशत	85 - 100	75 – 84.9	60 – 74.9	45 – 59.9	33 – 44.9	20-32.9	0 – 19.9

- E ग्रेड को भी 2 भागों में (E1 एवं E2) में बांटा जाता है, ताकि विद्यार्थी के वास्तविक स्तर की जानकारी शिक्षक को हो सकें |
- अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का विश्लेषण आपके द्वारा विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट जानकारी के उपरांत उपलब्ध होगा, जो प्राचार्य द्वारा परीक्षा परिणाम के आधार पर भरा जाएगा | जिसके पश्चात् प्रत्येक शाला के पास D एवं E ग्रेड के विद्यार्थियों की जानकारी उपलब्ध होगी |
- विमर्श पोर्टल पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के तत्काल बाद रेमेडियल टीचिंग / विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाए |
- विषय शिक्षक द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन, विद्यार्थियों को करवाया जाए एवं उनमें हुई त्रुटियों से विद्यार्थी को अवगत कराते हुए उसमें सुधार कराया जाए |

(मनीषा सेंतिया)

आयुक्त

लोक शिक्षण म. प्र.

पृष्ठां. क्रमांक / अकादमिक (SAC) / अर्द्ध. परी. / 105 / 2022-23 / 36 भोपाल दिनांक 3/1/23

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म. प्र. की ओर सादर सूचनार्थ |
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ|
3. आयुक्त, जनजाति विकास विभाग म. प्र. की ओर सूचनार्थ |
4. कलेक्टर, समस्त जिले म. प्र. की ओर सूचनार्थ |

आयुक्त

लोक शिक्षण म. प्र.